


18/02/21

वकील अपीलान्त उपस्थित) पत्रावली का
 अवलोकन बिना पत्रावली वर्ष 2014 में
 दर्ज रजिस्ट्रार दुर्घ है। पत्रावली में रेल्वो की
 नलकी का अभाव है। तलकी रेल्वो की रेल्व
 मोटिव से कराने हेतु करे अवलोकने के
 गैड थी अपीलान्त कारा पालना नहीं की
 जा रही है। प्रतीत होता है कि अपीलान्त अपन
 अपील पालने को रूचुक नहीं है। ऐसी स्थिति
 में अपील अपीलान्त आदेश-09 नियम 05 CPC
 के तहत अपालना में खारिज भी जारी है।
 पत्रावली फाइनल सुमा होना बाद तस्मील
 दा.द. हो।



जिला कलक्टर
 धरतपुर (राज०)



राजस्थान
 सरकार